संख्या:52/2023/898/476477/12-2-2023/60(3)/2016

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक: 07 जून, 2023

विषयः भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या-9/2020/940/12-2-2020-60(3)/2016 दिनांक 12.05.2020 द्वारा वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के खरीफ तथा रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में संचालित किया गया है।

2- योजना को प्रदेश में संचालित करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं को संचालन हेतु बीमित की जाने वाली फसल का चयन, जनपद का चयन, बीमित राशि, फसल बीमा योजनाओं को प्रदेश में संचालित कराया जाता है।

3- इस सम्बन्ध में निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा के पत्र संख्या: एस-190/सी-32/07/2023-24 दिनांक 25 अप्रैल, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-11019/01/2022-क्रेडिट-II (FTS:111875) दिनांक 03 अप्रैल, 2023 (संलग्नक-1) द्वारा खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संचालन हेतु एडवाइजरी जारी की गयी है, जिसके अनुसार राज्यों द्वारा आगामी वर्षों में फसल बीमा योजनाओं को लागू करने हेतु टेण्डर प्रक्रिया की तैयारी प्रारम्भ किए जाने का परामर्श दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी द्वारा Risk Sharing के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार योजना को पूर्व की भाँति संचालित करें अथवा निम्न तीन माडलों (Risk Participation Model)में से एक माडल के चयन कर योजना का संचालन कराये। भारत सरकार द्वारा तीन नये माडल प्रस्तावित किये गये है, जो निम्नवत हैं:-

(i). Profit & Loss sharing Model
(ii). Cup & Cap (60-130) Model
(iii). Cup & Cap (80-110) Model

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त मॉडल का विवरण **संलग्नक-1** के दिशा निर्देशों में वर्णित है।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 से 2022-23 में प्रदेश के 75 जनपदों को 08 समूहों मे विभाजित करते हुए ई-निविदा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध 18 बीमा कम्पनियों **(संलग्नक-2)** में से L1 प्रीमियम दर के आधार पर 04 बीमा कम्पनियों यथा एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0, यूनीवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 एवं इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 को चयनित करते हुए संचालित कराया गया है।

4. खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को समस्त जनपदों में कुल 18 फसलों यथा खरीफ मौसम में फसल-धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर (10 फसलें) एवं रबी मौसम में फसल-गेहूं जौं, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाही-सरसों व आलू (08 फसलें) को ग्राम पंचायत स्तर पर तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को चयनित 60 जनपदों के फसल बाहुल्य क्षेत्रों में कुल 07 औद्यानिकी फसलों को बीमित किया जायेगा। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल केला के 31 जनपद, फसल मिर्च के 22 जनपद, फसल पान के 7 जनपद, फसल हरी मटर के 19 जनपद, फसल टमाटर के 28 जनपद, फसल शिमला मिर्च के 8 जनपद, व फसल आम के 20 जनपद के फसल बाहुल्य विकासखण्डों में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक बीमित किया जायेगा।

5. विगत 6 वर्षों के आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी वर्ष में क्लेम प्रीमियम रेशियो 110 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा है। प्रदेश के एक समूह (Cluster) को छोड़कर समस्त समूहों में क्लेम प्रीमियम रेशियो 40 से 60 प्रतिशत के मध्य ही रहा है तथा बीमा कम्पनियों द्वारा टेण्डर के समय समूह स्तर पर Loss Cost से कम ही न्यूनतम भारित प्रीमियम दर रहा है तथा तीनों माडलों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर 80-110 माडल राजकीय हित में सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। उपरोक्त के आधार पर Cup & Cap (80-110) Model को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। माडल का विवरण निम्नवत हैः-

Parameters	Specifications
Risk Sharing	(1) 110 प्रतिशत तक की क्षति बीमा कम्पनी द्वारा वहन की जाएगी। (2) 110 प्रतिशत से अधिक की क्षति राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
Surplus Sharing	• 80 प्रतिशत कम क्लेम होने की दशा में बीमा कम्पनी द्वारा "80 - वास्तविक क्षति प्रतिशत" राज्य सरकार को वापस की जाएगी। • केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक समूह पर आंकलित Burn Cost + 15% तक की प्रीमियम राशि पर अनुदान को सीमित रखा गया है। • इस मॉडल में Profit/Loss में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा ही Profit/Loss वहन किया जाएगा।

समूह स्तर पर भारत सरकार द्वारा आंकलित Burn Cost + 15% of Burn Cost तक की ही L1_ प्रीमियम दर पर कम्पनी को समूह का आवंटन किया जायेगा।

इस मॉडल में Profit/Loss में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा ही Profit/Loss वहन किया जाएगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक समूह के लिए Burn Cost +

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15% तक प्रीमियम दिया जाएगा तथा Burn Cost + 15% से अधिक प्रीमियम होने पर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। Burn Cost + 15% का आंकलन/निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के विगत 10 वर्षों के आँकड़ों के आधार पर करते हुए राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. **बीमा कम्पनियों को राज्यांश का भुगतान-**

6.1 **वर्तमान व्यवस्था-**

बीमा कम्पनियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजना की पोर्टल पर उपलब्ध प्रगति विवरण के आधार पर राज्यांश की माँग खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर तक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 कार्यालय को एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से समस्त सूचनाओं/विवरण/प्रमाणपत्रों के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत की जाती है। तदनुसार शासन से स्वीकृति के उपरान्त राज्यांश का भुगतान किया जाता है।

6.2 **भारत सरकार द्वारा जारी नवीन एडवाइजरी में राज्यांश के भुगतान हेतु निम्नानुसार Escrow Account खोलते हुए भुगतान करने का प्राविधान किया गया है:-**

(i). प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में बीमा कवरेज प्रारम्भ होने के पूर्व में ही गत मौसम के आधार पर 50 प्रतिशत राज्यांश का अग्रिम भुगतान Escrow Account के माध्यम से किया जायेगा।

(ii). राज्य सरकार द्वारा चयनित व्यवसायिक बैंक में Escrow Account भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से खोला जायेगा। बैंक का चयन प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा।

(iii). राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के उपरान्त ही सम्बन्धित मौसम के लिए फसल बीमा पोर्टल को कृषकों के बीमा कराने हेतु उपलब्ध होगा।

(iv). मौसम के प्रारम्भ होने से पूर्व व्यवसायिक बैंक में Escrow Account खोलते हुए राज्य सरकार द्वारा गत मौसम के आधार पर राज्यांश का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जायेगा।

(v). इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुरोध किया जाना है कि पोर्टल पर कृषकों के बीमा कराने को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के भुगतान पर आश्रित नहीं किया जाये। तत्क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा कोई शिथिलता/संशोधन किया जाता है तो सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर इसे लागू किया जाएगा।

7. **फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आँकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान-**

7.1 **वर्तमान व्यवस्था-**

मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन राजस्व विभाग के लेखपाल द्वारा सम्पादित कराया जाता है। प्रयोगों का निरीक्षण कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। बीमा कम्पनी द्वारा भी प्रयोगों का सह-अवलोकन किया जाता है। फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन भारत सरकार द्वारा निर्मित CCE-Agri App के माध्यम से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कराया जाता है। जनपद स्तर से फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आँकड़ों को निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जाता है तथा निदेशालय स्तर पर आँकड़ों को विश्लेषित करते हुए बीमा कम्पनियों को प्रेषित किया जाता है, तदुपरान्त बीमा कम्पनियों द्वारा क्षतिपूर्ति का नियमानुसार आंकलन करते हुए भुगतान किया जाता है।

7.2 **<u>भारत सरकार द्वारा जारी नवीन एडवाइजरी में व्यवस्था-</u>**

फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन, विश्लेषण एवं क्षतिपूर्ति की पूर्व व्यवस्था लागू रहेगी। उसके अतिरिक्त YES-TECH (Yield Estimation System through Technology) प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपज अनुमान प्रणाली भारत सरकार द्वारा विकसित की गयी है।

जिन प्रदेशों/जनपदों में YES-TECH प्रणाली लागू की जायेगी, उनके लिए भारत सरकार द्वारा Crop Model Matrix (CMM) Notify किया जायेगा। प्रथम चरण वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को Notify किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अन्य राज्यों को दूसरे चरण में खरीफ 2024 से YES-TECH लागू करना है। उत्तर प्रदेश में खरीफ 2023 में चयनित जनपदों में पायलेट आधार पर लागू किया जायेगा।

YES-TECH (Yield Estimation System through Technology) के माध्यम से उपज का आंकलन प्रदेश में वर्ष 2023 में अधिकतम क्लेम रेशियो वाले जनपद मथुरा, महोबा, ललितपुर, गोण्डा, कासगंज एवं न्यूनतम क्लेम रेशियो वाले जनपद रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर व सुल्तानपुर में पायलट आधार पर लागू किया जायेगा। पायलेट अध्ययन से प्राप्त ऑकड़ों का उपयोग वर्ष 2023 में फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उपज के आँकड़ों से तुलना हेतु किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति के आंकलन में इसका उपयोग नहीं किया जायेगा।

तकनीकी विधि से उपज के आंकलन के लिए भारत सरकार द्वारा 12 Mentor Institution for Technology Rollout (MITR) **(संलग्नक-3)** तथा 19 Technology Implementation Partner (TIP) **(संलग्नक-4)** जिसमें से 12 राजकीय तथा 7 प्राइवेट संस्थायें हैं, को सूचीबद्ध किया गया है।

प्रदेश स्तर पर 1 MITR तथा 1 TIP का चयन किया जाना है। कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए इन संस्थाओं का चयन किया जायेगा। तदनुसार तकनीकी विधि से उपज का आंकलन किया जायेगा।

8. **<u>Project Monitoring Unit (PMU)</u>**

वर्तमान में प्रदेश स्तर पर Project Monitoring Unit (PMU) गठन नहीं किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में सुझाव दिया गया है कि केन्द्र स्तर पर Central Project Monitoring Unit (CPMU) गठित हो। उसी आधार पर राज्य सरकार के स्तर पर Project Monitoring Unit (PMU) का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्न श्रेणी (Category) के न्यूनतम एक पद रहेंगे:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	पदनाम
1-	Actuarial & Underwriting Specialist
2-	Remote Sensing Specialist
3-	Data Analyst & MIS Specialist
4-	Awareness & Communication Specialist
5-	Capacity Building & Training Specialist
6-	IT & Technical Specialist
7-	Financial & Subsidy Management Specialist

- PMU के संचालन में आने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल प्राविधानित धनराशि का 3 प्रतिशत (प्रशासनिक व्यय मद) से किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजनाओं के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश अभी जारी किया जाना है। जिसमें PMU के गठन के सम्बन्ध में प्राविधान होंगे। भारत सरकार से दिशा-निर्देश जारी होने के उपरान्त कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए PMU के गठन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

9. **<u>प्रदेश के 75 जनपदों के समूहों का निर्धारण-</u>**

<u>वर्तमान व्यवस्था-</u>

वर्ष 2020-21 से 2022-23 में प्रदेश के 75 जनपदों के 08 समूह बनाये गये हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों को बनाये गये 8 समूहों में इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक समूह में अनुमानित बीमित राशि लगभग समान हो जाय। वर्ष 2023-24 से 2025-26 में भी मण्डलों को जनपदों को लेकर 8 समूह गठित किये गये हैं। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के समूहों में अनुमानित बीमित राशि को लगभग समान रखने के दृष्टिगत समूहों में आंशिक संशोधन किये गये है, और नवीन समूह निम्नवत होंगे:-

वर्ष 2020-21 से 2022-23 में निर्धारित समूह		**वर्ष 2023-24 से 2025-26 में निर्धारित समूह**	
समूह	**मण्डल/जनपद**	**समूह**	**मण्डल/जनपद**
1	*2*	*3*	*4*
1.	सहारनपुर, मेरठ एवं झांसी	**1.**	सहारनपुर, मेरठ एवं ललितपुर
2.	अलीगढ़, आगरा एवं बांदा	**2.**	अलीगढ़, प्रयागराज एवं बांदा
3.	बरेली, मुरादाबाद एवं जालौन	**3.**	बरेली, मुरादाबाद एवं झांसी
4.	कानपुर, प्रयागराज	**4**	कानपुर, आगरा
5.	वाराणसी, मिर्जापुर एवं ललितपुर	**5.**	वाराणसी, मिर्जापुर एवं जालौन
6.	आजमगढ़, गोरखपुर एवं महोबा	**6.**	आजमगढ़, गोरखपुर एवं हमीरपुर
7.	बस्ती, लखनऊ एवं हमीरपुर	**7.**	बस्ती, लखनऊ एवं चित्रकूट
8.	अयोध्या, गोण्डा एवं चित्रकूट	**8.**	अयोध्या, गोण्डा एवं महोबा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. **<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अन्य सामान्य व्यवस्थाः-</u>**

(i). प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा आच्छादन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(ii). व्यापक आपदाओं से खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा-सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों-रोगों, कृमियों से क्षति के जोखिमों को आच्छादित किया गया है, जिसमें फसलों की क्षति का आंकलन मौसम के अंत में ग्राम पंचायत में प्रत्येक अधिसूचित फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर किया जायेगा। क्षतिपूर्ति हेतु कृषकों से किसी प्रकार का व्यक्तिगत दावा आवश्यक नहीं है। योजना के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति देय होने पर क्षतिपूर्ति की धनराशि भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से सीधे कृषक के बैंक खाते में भेजा जायेगा।

जब व्यापक आपदाओं के कारण ग्राम पंचायत में लगभग 75% से अधिक क्षेत्र में बीमित फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति होती है, उस स्थिति में ग्रामपंचायत में प्रभावित फसलों के उत्पादक सभी कृषकों को बीमित राशि के 25% क्षतिपूर्ति का प्राथमिकता पर भुगतान कर दिया जायेगा एवं प्रभावित ग्राम पंचायत/फसल के बीमित कृषको का आगे बीमा आच्छादन समाप्त माना जायेगा।

फसल बुवाई के पश्चात् से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण ग्राम पंचायत में फसल की अनुमानित उपज में 50% से अधिक की क्षति की सम्भावित स्थिति में बीमित फसलों के उत्पादक कृषकों को तात्कालिक सहायता (सम्भावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम 25% तक) प्रदान की जायेगी।

(iii). स्थानिक आपदाओं यथा ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से खड़ी फसलों को क्षति की स्थिति अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में बीमित फसलों के उत्पादक आपदा प्रभावित कृषकों की क्षति का व्यक्तिगत आधार पर आंकलन किया जायेगा एवं आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

खड़ी फसलों को स्थानिक आपदाओं अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल की क्षति के कारण ग्राम पंचायत में 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र प्रभावित होने की स्थिति में क्षति का आंकलन जनपद के कृषि विभाग, राजस्व विभाग व बीमा कम्पनी के अधिकारी की संयुक्त कमेटी द्वारा रैण्डम आधार पर किया जायेगा एवं उसके आधार पर क्षतिपूर्ति उन सभी बीमित कृषकों को दी जायेगी, जिन्होंने निर्धारित समयावधि में व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत किया है।

व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रभावित प्रत्येक बीमित कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अंदर स्वयं/अपने बैंक/बीमा कम्पनी के टोल-फ्री नम्बर/जनपद के कृषि/राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी के माध्यम से बीमा कम्पनी को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बैंक/जनपद के कृषि/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा कृषकों के प्राप्त व्यक्तिगत दावे को अगले 48 घण्टे के अन्दर बीमा कम्पनी को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

स्थानिक आपदा/मध्यावस्था में मौसम प्रतिकूलता या फसल कटाई के बाद के नुकसान के कारण दावा भुगतान की धनराशि, बीमित फसल की कुल बीमित राशि से कम कर दी जायेगी। इसलिए अंतिम उपज आधारित दावे की गणना बीमित राशि की उपलब्ध शेष राशि को उपज की कमी से गुणा कर आंकलित की जायेगी।

(iv). अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक होगी। ऋणी कृषकों द्वारा बीमा नहीं कराने की स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पूर्व तक Opt-Out Form भरकर उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा प्रीमियम की कटौती करते हुए बीमा कर दिया जायेगा। कृषक को पुनः योजना में सम्मिलित होने हेतु Opt-In Form भरकर उपलब्ध कराना होगा।

(v). खाद्य फसलें (अनाज, कदन्न व दलहन), तिलहन, वार्षिक नगदी व औद्यानिकी फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल (अद्यतन स्थिति तक) उपलब्ध होने पर अधिसूचित किया जायेगा।

(vi). जनपद स्तर पर फसल के उत्पादन लागत के अनुरूप बीमित राशि का निर्धारण किया जायेगा। बीमित राशि का आंकलन जनपद में बीमित फसल की औसत उपज (विगत 07 वर्षों में से 05 सर्वाधिक वर्षों की उपज का औसत) को फसल की भारत सरकार द्वारा अद्यतन घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं होने पर गतवर्ष की फार्म गेट प्राइस) से गुणा कर आंकलित किया जायेगा।

(vii). सभी फसलों को वास्तविक प्रीमियम दर पर अधिसूचित किया जायेगा।

(viii). खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न व दलहन) व तिलहन हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश को खरीफ़ मौसम में बीमित राशि के दो प्रतिशत तथा रबी फसलों में बीमित राशि के डेढ़ प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जायेगा। खरीफ व रबी की वार्षिक नगदी फसलों/वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि के पाँच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

(ix). कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा। केन्द्र के प्रीमियम के अनुदान को सिंचित क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत तक अनुमन्य किया जायेगा।

(x). थ्रेशोल्ड उपज (गारण्टीड उपज) का आंकलन पिछले 07 वर्षों की औसत उत्पादकता में से 05 सर्वाधिक उत्पादकता वाले वर्षों का चयन करते हुए उनकी औसत उत्पादकता में निर्धारित इण्डेम्निटी स्तर (प्रतिशत में) से गुणा करने के पश्चात् निर्धारित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11. **<u>पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनाः-</u>**

(i). प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों यथा कम वर्षा, बेमौसम अधिक वर्षा, पाला, कम व अधिक तापमान, आर्द्रता आदि से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के नुकसान होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा आच्छादन के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(ii). अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक होगी।

(iii). सभी फसलों को वास्तविक प्रीमियम दर पर अधिसूचित किया जायेगा। खरीफ व रबी की वार्षिक नगदी फसलों/वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमा राशि के पांच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

(iv). कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा। केन्द्र के प्रीमियम के अनुदान को सिंचित क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत तक अनुमन्य किया जायेगा।

(v). फसलों की क्षति का आंकलन फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण में फसल की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित मौसमीय स्थितियों एवं बीमा इकाई क्षेत्र में मौसम की वास्तविक स्थिति में अन्तर के आधार पर फसल की सम्भावित क्षति को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(vi). योजना में फसलों की क्षति का आंकलन जनपद में अधिसूचित ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर किया जायेगा। जनपद में मौसम की वास्तविक स्थिति के ऑकलन हेतु बीमा कम्पनी द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से बीमा इकाई स्तर पर स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। मौसम केन्द्र पर मौसम के प्रतिदिन के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर फसल की सम्भावित क्षति का ऑकलन किया जायेगा।

(vii). बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से सीधे कृषक के बैंक खाते में भेजा जायेगा। क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों को किसी प्रकार का व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों के कार्यक्षेत्र के निर्धारण हेतु मण्डलों के जनपदों को लेकर 08 समूह बनाये गये हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों को बनाये गये 08 समूहों में इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक समूह में अनुमानित बीमित राशि लगभग समान हो एवं क्षतिपूर्ति प्रीमियम रेशियो भी लगभग समान हो। उपरोक्त सभी समूहों में सम्मिलित जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित की जाने वाली सभी फसलों को सम्मिलित किया गया है। समूह के जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित सभी फसलों के वास्तविक प्रीमियम दर का प्रस्ताव ई-निविदा के माध्यम से भारत सरकार की सभी पैनलबद्ध बीमा कम्पनियों से आमंत्रित किया जायेगा एवं समूह स्तर पर न्यूनतम् भारित औसत प्रीमियम के आधार पर बीमा कम्पनी के कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जायेगा।

13. खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रभावी संचालन एवं समय से क्षतिपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु इन योजनाओं के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिसमें बीमा कम्पनी के किसी कृत्य से योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अथवा कृषक को योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ समय से प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति बनती है, तो उन स्थितियों में सम्बन्धित बीमा कम्पनी के विरूद्ध आर्थिक अर्थदण्ड लगाये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसका विवरण **संलग्नक-5** पर दिया गया है।

14. प्रदेश में भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार Project Monitoring Unit (PMU) का गठन किया जायेगा। PMU के संचालन में आने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल प्राविधानित धनराशि 3 प्रतिशत (प्रशासनिक व्यय मद) से किया जायेगा।

15 बीमा के संचालन हेतु भारत सरकार के सूचीबद्ध कम्पनियों में से ई-टेण्डेरिंग के माध्यम से चयन किया जायेगा। बीमा कम्पनी को न्यूनतम औसत भारित प्रीमियम दर (L1) के आधार पर अधिकतम 2 समूह आवंटित किये जायेंगे। यदि कोई बीमा कम्पनी दो से अधिक समूह (Cluster) में L1 आती है तो सबसे न्यूनतम L1 वाले 2 समूह उन्हें आवंटित किए जायेंगे तथा अन्य समूह L2, L3, L4..... बीमा कम्पनी को L1 के दर पर आवंटित किये जायेंगे।

निविदा प्रपत्रों एवं शर्तों को तैयार करने हेतु निविदा ड्राफ्ट समिति का गठन किया गया है। समिति की संस्तुति के अनुरूप निविदा की शर्तों को शासन द्वारा अनुमोदित करते हुए कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से बीमा कम्पनियों के चयन की संस्तुति प्राप्त कर शासन से अनुमोदन के उपरान्त बीमा कम्पनियों को कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जायेगा।

16. आगामी वर्षों में फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों के आच्छादन के आधार पर राज्यांश की देयता का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में 110-फसल बीमा, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम (के.50/रा.50) के 27-सब्सिडी मानक मद में धनराशि रूपये 753.70 करोड़ का प्राविधान कराते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की देयता का भुगतान एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में अधिकृत बीमा कम्पनियों को सुनिश्चित कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट व्यवस्था हो चुकी है। आगामी वर्षों में फसल बीमा योजनाओं का संचालन कृषि विभाग द्वारा बजट का प्राविधान कराते हुए कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17. भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजनाओं के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश अभी जारी किया जाना है। एडवाइजरी के अतिरिक्त अन्तिम दिशा-निर्देश में यदि कोई अन्य प्राविधान किये जाते हैं तो मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोंपरान्त आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

18. खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को संचालित किए जाने के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

(i). PMU प्रदेश स्तर पर फसल बीमा योजनाओं के संचालन में नामित नोडल विभाग कृषि विभाग के अधीन कार्य करेगा। PMU के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु भारत सरकार द्वारा योजना के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के उपरान्त कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में PMU के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण कराया जाएगा।

(ii). बीमा कराने हेतु opt-out फॉर्म एवं opt-in फॉर्म को सरलीकृत करते हुए डिजिटल माध्यम से आवेदन पर विकल्प के माध्यम से विचार करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा। योजना ऋणी कृषकों हेतु स्वैच्छिक है। ऋणी कृषक यदि बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पूर्व तक opt-out फॉर्म भरकर अपनी बैंक शाखा पर उपलब्ध कराना होगा। ऋणी कृषक को पुन: योजना में सम्मिलित होने हेतु opt-in फॉर्म भरकर उपलब्ध कराना होगा।

(iii). प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा की इकाई ग्राम पंचायत है। मौसम के अंत में राजस्व विभाग द्वारा कराए गये क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाता है। योजना के प्राविधानानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में चार क्रॉप कटिंग प्रयोग कराए जाने की अनिवार्यता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है, ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर क्रॉप कटिंग प्रयोगों का सम्पादन कराया जा सके।

(iv). बीमित राशि का आंकलन जनपद के बीमित फसल की औसत उपज विगत 07 वर्षों में से 05 सर्वाधिक वर्षों की औसत उपज को लेते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित किया जा रहा है तथापि सुझाव के अनुरूप भारत सरकार से 05 सर्वाधिक उपज में सर्वाधिक उपज (बेस्ट) उपज लेने के सम्बन्ध में अनुरोध किया जाएगा।

(v). उत्पादकता एवं उत्पादन के ऑकड़ों को शुद्धतापूर्ण प्राप्त करने हेतु क्रॉप कटिंग प्रयोगों का अधिक से अधिक निरीक्षण सुनिश्चित कराया जा रहा है ताकि उनका रिफ्लेक्शन राज्य आय में भी हो। विभाग द्वारा प्रदेश के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के जो ऑकड़ें तैयार किए जा रहे हैं, उनको तदनुसार भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कराया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19. उक्त के आलोक में कृपया भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश में खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संचालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:52/2023/898(1)/476477/12-2-2023/60(3)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्यान, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/ समस्त उप कृषि निदेशक/ समस्त जिला कृषि अधिकारी उ0प्र0 द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा उ0प्र0, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

F.No. 11019/01/2022-Cr-II (FTS : 111875)
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
Department of Agriculture & Farmers' Welfare

Krishi Bhavan , New Delhi
Dated the 3rd April , 2023

To,

1. The Principal Secretary (Agriculture/Horticulture/Cooperation) [All States / UTs)

2. CMD/MD/CEO [All Insurance Companies Empanelled under PMFBY/RWBCIS]

Subject : Advisory to the States for the tenders cycle Kharif-23 till Rabi -25-26 : -reg

Madam/Sir,

This has reference to the next tender cycle from Kharif-23 till Rabi -25-26 under PMFBY /RWBCIS for which most of the States /UTs are preparing to proceed. This Department through various communications has informed the States and the Insurance Companies (ICs) that the extant Operational Guidelines (OGs) are to be revised so as to provide more flexibility to the States in terms of application of the scheme, to inculcate financial discipline amongst the States and ICs as well as to involve technological interventions within the scheme so as to bring transparency and minimize disputes.

2. Consultations with the States, ICs, Reinsurers, technical institutions, Departments have already taken place as comments were sought in writing from the stakeholders. The proposal for the revision of the OGs was also brought into discussion during the 7th & 8th National Review Conference held on 18th -19th April, 22 and 19th -20th October, 22 respectively and the National Level Monitoring Committee meeting held on 24th November, 2022.

3. On the basis of the comments received, discussions held and keeping in view the measures required to strengthen the scheme in financial, administrative, technical facets and to make the scheme more farmer centric, the Department is in the process of drafting the revised guidelines. However, since the procedural and approval processes may take some more time and the States can't be kept on hold, therefore an advisory is being issued on the basis of which the States / UTs may prepare their tender documents and the ICs may also act upon their work plans.

4. A preliminary summarised version of the next revision to the guidelines is annexed to this letter on the basis of which the States / UTs may start the preparation of the next tender cycle. This advisory is merely for the purpose of proceeding with tenders on these lines and tender document may allow for minor adjustments before finalisation.

Yours faithfully

(Ritesh Chauhan)
CEO-PMFBY

Copy to :

i. Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority, 3rd Floor, Parisrama Bhavan, Basheer Bagh, Hyderabad - 500004, Telangana,.

ii. Joint Secretary (Insurance), Department of Financial Services, Ministry of Finance, 3rd Floor, Jeevan Deep Building, Sansad Marg New Delhi-110001.

iii. MD & CEO CSC-E-Governance Services India Limited 3rd floor, Electronic Niketan, 6, Lodhi Rd CGO Complex, New Delhi, 110003.

iv. CMD, GIC "Suraksha",170, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400 020

v. The CEO - Munich Re India Branch, Unit 1501, B wing, The Capital, Plot No. C-70, G Block, Bandra Kurla Complex (BKC), Bandra Kurla Complex Rd, Bandra East, Mumbai, Maharashtra 400051

vi. The CEO Swiss Re, One BKC Building, A Wing – 701, 7th Floor, Plot no.-66, Block G, Bandra Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra 400051

vii. Director General Indian Council of Agricultural Research (ICAR) Krishi Bhavan, New Delhi 110 001.

viii. Economics and Statistics Adviser, Directorate of Economics & Statistics, Deptt. Of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare.

ix. Director General of Meteorology, India Meteorology Department, H6PC+CGC, IMD Complex ,Main Entrance, Lodi Colony, New Delhi, Delhi 110003, New Delhi.

x. Director, MNCFC, J5M3+883, Sahyadri Ave, Near Krishi Vistar Sadan, Pusa, New Delhi, Delhi 110012PUSA, New Delhi.

xi. Director, Indian Agricultural Statistics Research Institute, Library Avenue, PUSA, New Delhi

xii. Deputy Director General, (Field Operations Division), National Sample Survey Organization (NSSO), Pushpa Bhawan, New Delhi.

xiii. Director, National Remote Sensing Center, Deptt. of Space, Hyderabad 500 037, Telangana.

xiv. Director, Indian Space Research Organisation (ISRO), Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore 560 231

xv. Space Applications Centre (SAC) Campus, Jodhpur Tekra, Ambawadi Vistar P.O., Ahmedabad - 380015, Gujarat, INDIA.

ANNEXURE

Preliminary summarised version of the next revision to the guidelines

SN	Preparatory Provisions
1.	**Alternative Risk Management :** The Scheme shall operate mainly on Complete "risk transfer" approach wherein complete risk is transferred to implementing Insurance Companies. This will involve bearing of entire claim liability by the insurance company for the discovered premium. However, if the State government strongly believes that they need to partake some of the elements of the risk, they may explore going for Risk Participation Approach. This shall entail adoption of alternate models by the States wherein the claims as well as surplus is shared between the Government and the implementing insurance company as per the mutually agreed formula. The States may choose to implement any of the following models : i. Profit & Loss sharing model Ii. Cup & Cap model (60:130) Iii. Cup & Cap model (80:110) Following shall be the modalities specific to Risk Participation Approach : **"Profit & Loss" Sharing Model**

Parameter	Specifications
Risk Sharing	• ICs – up to loss ratios of 100% • ICs & Government (GoI and State Govt. equally) – Risk sharing beyond 100% as per proposed structure
Surplus Sharing	Loss ratio between 0%-100%, IC & Government (GoI and State Govt. equally) get surplus as per proposed structure

Layers of Profit /loss %		Insurer	Government (GoI & State)	Sharing of
0%	50%	15%	85%	
50%	65%	60%	40%	Profit
65%	100%	95%	5%	
100%	130%	95%	5%	
130%	220%	60%	40%	Loss
220%	350%	15%	85%	

Profit Sharing @ Loss Ratio of 100%

Profit = 100%- LR = 100%

*Insurer Profit = (layer (0%- 50%) =50%) *(15% share of Profit) + layer (65%-50% =15%)* (60% share of Profit) + Layer (100%- 65% = 35%)*(95% share of Profit)*

= 7.5% + 9% + 33.25% = **49.75% of the Premium**

Government (GoI & State) share of Profit = 100% - 49.75% = **50.25% of the premium, Loss Ratio of IC = 50.25%**

Loss Sharing @ Loss Ratio of 350%

Loss = 100%-LR= -250%

*Insurer Loss = (layer (220%- 350%) = - 130%) * (15% share of loss (220%-350%) + layer (130%-220% = -90%) * (60% share of Loss) + Layer (100%- 130% = 30%) * (95% share of Loss)*

= -19.5%* - 54% * -28.5% = **- 102% of the premium**

Government (GoI & State) = -250% - (-102%) = **- 148% of the premium, Loss Ratio of IC = 202%**

Conditions –

I. Liabilities -

a. Central Government subsidy sharing will be based on L-1 quoted Actuarial Premium Rates (APR)

b. Central Government will participate equally with State Government in any claim liability as per the structure *(as above).*

c. Sharing of claim liabilities between Insurance Company and Government (GoI and State Govt.) will be done at cluster level or at the level of determination of L-1 bidder.

II. Surplus Sharing –

a. Central Government will share surplus (if any) equally with State Government as per the structure *(as above)*

b. Surplus sharing between Insurance Company and Government (GoI and State Govt.) will be done at cluster level or at the level of determination of L-1 bidder.

c. Any surplus will be shared equally between Government of India and State Government. Further it shall be deposited back into Consolidated fund of India or State treasury respectively.

"Cup & Cap" (60-130) Model

Risk Sharing	• **ICs – up to loss ratios of 130%** • **Government (GoI and State Govt. equally) – for the loss ratios > 130%**

Surplus Sharing	• Loss ratio between 0%-60% - ○ ICs retains 40%; and ○ Government (GoI and State Govt. equally) get remaining (= 60% minus Actual Loss Ratio)

Conditions –

I. **Liabilities -**

a. Central Government subsidy sharing will be based on L-1 quoted Actuarial Premium Rates (APR).

b. Central Government will participate equally with State Government in any claim liability arising due to claim ratio exceeding 130%.

c. Sharing of claim liabilities between Insurance Company and Government (GoI and State Govt. **equally**) will be done at cluster level or at the level of determination of L-1 bidder.

II. **Surplus Sharing –**

a. Central Government will share surplus (if any) equally with State Government if the claim ratio are less than 60%

b. Surplus sharing between Insurance Company and Government (GoI and State Govt. **equally**) will be done at cluster level or at the level of determination of L-1 bidder.

c. Any surplus will be shared equally between Government of India and State Government. Further it shall be deposited back into Consolidated fund of India or State Treasury respectively.

"Cup & Cap" Model (80-110)

Parameters	Specifications
Risk Sharing	• **ICs – up to loss ratios of 110%** • **State Govt. – for the loss ratios > 110%**
Surplus Sharing	• **Loss ratio between 0%-80% -** ○ **ICs retains 20%; and** ○ **State Govt. gets remaining (= 80% minus Actual Loss Ratio)**

	Conditions – **I. Liabilities -** a. Central Government subsidy sharing will be restricted to cluster level burn cost calculated for the current year + 15% of burn cost (towards administrative and other expenses) **or** L-1 quoted actuarial premium rates, whichever is lower. b. Central Government will NOT PARTICIPATE with State Government in any claim liability. c. Sharing of claim liabilities between Insurance Company and State Government will be done at cluster level or at the level of determination of L-1 bidder. **II. Surplus Sharing –** a. Central Government will NOT SHARE surplus (if any) with State Government if the claim ratio is less than 80% b. Surplus sharing between Insurance Company and State Government will be done at cluster level or at the level of determination of L-1 bidder. c. Any surplus shall be deposited back to State Treasury.
2.	**<u>Financial Preconditions for the Implementation of the Scheme :</u>** As per Section 64 VB of Insurance Act, 1938 (as amended from time to time), the premium is required to be received by the insurer before assumption of the risk. PMFBY being a Government sponsored scheme, some relaxations are given in this provision. Nevertheless, in order to ensure timely release of subsidy and to maintain strict financial discipline in the scheme, following shall be adhered to: I. All the financial transactions (subsidy and claims) shall be routed through National Crop Insurance Portal. II. The States/UTs are required to commit their liabilities in advance as per modalities mentioned hereunder: a. **Escrow Account:** The 50% of the advance upfront premium subsidy based on the corresponding previous season's premium would be remitted to the insurance company by the State Government at the time of allocation of work through an escrow account system. b. The escrow account shall be jointly administered by the State Government and GoI and maintained in any Scheduled Commercial Bank to be chosen by the State Govt.

	c. **NCIP would only be opened for enrolment on remitting of the above-mentioned advance upfront premium by the concerned State Government to the insurance company.** d. Subsequent tranches of the premium subsidy would be released, as per seasonality discipline, on reconciliation of data and submission of demand by the respective Insurance Companies. e. The release of subsidy shall follow a seasonal chronology. The subsidy for the previous season is to be cleared before proceeding to next season. f. Notwithstanding any legal order specifically restricting the release of subsidy the subsidy component of previous season shall be settled first from any future contributions. III. The release of GoI subsidy shall not be dependent on release of State subsidy. The insurance companies shall raise simultaneous demand for State and Central Government share. Claims on pro-rata basis can be released to the farmers as per the GoI subsidy.
3.	**Subsidy sharing pattern of Himalayan States / UTs :** Subsidy sharing pattern between Centre & States for Himalayan States / UTs shall be akin to NER States i.e., 90:10.
4.	**Modalities For Conducting Crop Cutting Experiments :** I. To bring better transparency and confidence in the data, States shall mandatorily ensure conduct of CCEs through a mobile application specially designed by Govt. of India for this purpose. No other application shall be used for reporting conduct of CCEs. II. Every Primary Worker or Field functionary involved in the conduct of CCEs through CCE Agri-app shall be entitled for receiving Rs.150/- per CCE as the cost towards promotion of technology which shall be credited by Government of India directly & electronically to his/her account after the approval of the CCE by the State Admin. III. Where the State Governments are also willing to pay any amount to their workers from their resources the same shall be over and above the amount paid by GoI. IV. The existing system of incentivisation in the form of reimbursement for the purchase of smart phone, data charges, and expenses on outsourcing of CCEs shall be discontinued with the onboarding of new system of incentivising the primary worker upfront, however past liabilities shall be settled.
5.	**Technology Interventions in the implementation of the scheme :** **[A] YES-TECH : Yield Estimation System through Technology:** I. As detailed in the draft SOPs circulated to the states, there shall be following types of methodologies for yield assessment: a. Semi Physical Model b. AI/ML Model c. Crop Simulation Model d. Ensembled Model

e. Crop Heath Factor (CHF) Model

II. These recommended methodologies are to be adopted for the rollout of technology-based GP level yield estimation in Kharif 2023 in the States implementing PMFBY. Standard operating Procedure (SoP) for Technology-based yield estimation of Paddy crop at Gram Panchayat Level has already been circulated amongst all stakeholders.

III. **These methodologies shall be initially taken up for Paddy and Wheat, thereafter would be replicated for other crops as prescribed.**

IV. Technology-based yield estimation shall be implemented on graded scale i.e. **minimum 30% weightage** of Technology driven Yield in first year and 70% to traditional Crop Cutting Experiments approach. Gradual increase of 10%-20% thereafter will be made based on the experience of stakeholders. However, the States may opt for increasing the percentage and give higher weightage to the technology from Kharif 2023 itself.

V. The concept of assigning the weightage to technology is being roped in for reducing the moral hazards, however the conventional CCEs (to be captured through CCE app) will continue to be conducted as being done presently.

VI. States will be assisted by

a. Technology Implementation Partner (TIP), which shall be the agency that shall run the models finalised by the respective state. TIP can be a private sector player or even a suitably qualified public institution. States shall choose TIP but to be selected as a TIP they will have to be technically empanelled by YES-TECH Committee.

b. Mentor Institutes for Technology Rollout (MITR), for the adoption of these technical approaches for yield assessment. These mentor institutions may be National level Technology institutions (Like NRSC, SAC, ICAR etc), State Agriculture Universities, State Remote Sensing Centre or any other such institution. MITR shall be appointed by Govt of India.

VII. Cost of implementing the YES-TECH component would be shared between Central and State Government on sunset basis as under:

SN	Particulars	Sharing Ratio/Pattern between Central and State Governments for YES-TECH		
		2023-24 (1st year)	2024-25 (2nd year)	2025-26 (3rd year)
1	North-eastern and Himalayan States	90:10	90:10	90:10
2.	Other States	90:10	80:20	60:40

VIII. Upto 10% of total YES-TECH cost for any State can be payable to Mentor Institutions for Technology Rollout (MITR) towards offering mentorship in the form of manpower and infrastructural support for the

management of YES-TECH initiatives. However this cost shall be negotiable between the respective Governments and the MITR institutions and approved by YES-TECH Committee.

IX. The weightage to technology shall be increased in the following manner if States do not conduct their Crop Cutting Experiments through the CCE- agri app.

% of CCE conducted through app w.r.t. total CCEs conducted in a district	Weightage to technology
>75%	30%
>50% but < or =75%	35%
>25% but < or =50%	40%
>10% but < or =25%	45%
< 10%	50%

[B] WINDS (Weather Information Network and Data System) :

I. WINDS shall involve setting up a National level network of Automatic Weather Stations & Rain Gauges and creating a strong and resilient platform for generation of long-term hyper-local weather data information for Crop insurance, agriculture advisory and disaster risk resilience needs which will benefit the agriculture sector in general and the farmers in particular.

II. It will further assist the State Governments in taking real-time strategic interventions in the best interest of farmers. The weather data inputs from these stations, integrated on a single platform i.e. National Crop Insurance Portal (NCIP), will be used by the respective State Governments for crop insurance, sowing, cropping, harvesting and market planning as well as consultation and advisories to the farmers. This nationally important data, thus generated may also be promoted and nurtured for wider applications, research and strategic utilization, for bringing in efficiencies and transparency in service delivery to the consumers, in different sectors. Draft SOPs for this have already been shared.

III. GoI shall provide assistance for WINDS with private sector participation on the basis of **'renting of data' i.e final payment shall be linked to the data received.** State Governments may create their own infrastructure or alternatively, purchase data from open sources. Data from these AWSs/ARGs will be directly sent to the NCIP or other platforms to be mandated by GoI. States which already have required infrastructure would also link the data to NCIP/Platforms.

IV. The cost of implementing the WINDS component would be shared between Central and State Government on sunset basis as under:

SN	Particulars	Sharing Ratio/Pattern between Central and State Governments for YES-TECH		
		2023-24 (1st year)	2024-25 (2nd year)	2025-26 (3rd year)
1	North-eastern and Himalayan States	90:10	90:10	90:10
2.	Other States	90:10	80:20	60:40

Assumption taken: Calculated for PMFBY implementing 22 states having 521 Districts. Total estimated ARGs are 1,88,179& AWS are 1,162

V. The WINDS data shall be used for multiple purposes for Government use, however Government shall not sell the data but the data providing agency may sell the data for getting economies of scale which in turn will bring down the cost of procuring the data.

[C] CROPIC (Collection of Real-time Photos and Observations of Crops) :

I. Under this technical initiative, crop health will be monitored by taking periodic photos of standing or peril-affected crop at pre-determined interval of its growth with GPS coordinates, three to five times during the season for assessing the crop condition at different stages of the crop cycle.

II. This will also greatly help in reducing the moral hazard as availability of periodic photos of crop health will ensure that there cannot be a sudden and precipitous fall in yield at the time of the CCE.

III. Further, this data can subsequently be analysed using AI/ML tools to better the YES-TECH models.

IV. Monetary incentive of Rs. 10/- per field / visit (maximum Rs. 50/- per field per year) for sending crop condition photo from the ground level shall be given to identified photograph takers which shall be credited by Government of India directly & electronically to their bank account. This initiative shall be dovetailed with other initiatives of DA&FW.

6. **Claim Settlement under Multiple Events :**

At each stage of claim payment on account of Localized Perils, Mid-season adversity or Post-harvest losses, the total Sum Insured of insured crop will be reduced by the amount of claim being paid. The final yield based claim therefore will be computed based on Yield shortfall multiplied by available balance of Sum Insured at the stage of final yield based claim settlement.

7. **Dispute resolution regarding Yield Data / Crop loss :**

The dispute resolution under the scheme to be made through a conflict of interest free independent authority in consultation between DA&FW, DFS & IRDAI

8. **Project Monitoring Unit (PMU) for States :**

I. In line with creation of a PMU at Central level (CPMU), all States/UTs implementing Schemes should also create a separate PMU at State HQ level with sufficient technical experts/staff to ensure proper implementation of the Scheme. However, States shall use their administrative budget for running the SPMU.

II. The States/UTs shall be categorised for creation of SPMUs as per table below and shall mandatorily onboard experts as detailed against their category. Minimum one position in the indicated category of posts may be taken. In addition, the State may hire other positions as per its own requirement.

Category A		Category B		Category C	
State	Positions (1 per Domain	State	Positions (1 per Domain	State	Positions (1 per Domain
Madhya Pradesh Rajasthan Maharashtra Uttar Pradesh Chhattisgarh Karnataka Tamil Nadu Haryana Odisha Andhra Pradesh	• Actuarial & Underwriting Specialist • Remote Sensing Specialist • Data Analyst & MIS Specialist • Awareness and Communication Specialist • Capacity Building & Training Specialist • IT & Technical-Specialist • Financial and Subsidy Management Specialist	Himachal Pradesh Uttarakhand Assam	• Data Analyst & MIS Specialist • Capacity Building & Training Specialist • IT & Technical-Specialist • Financial and Subsidy Management Specialist. • Awareness and Communication Specialist	Tripura Kerala Jammu & Kashmir Puducherry Manipur A&N Islands Sikkim Goa Meghalaya	• Capacity Building & Training Specialist • Financial and Subsidy Management Specialist

9. **NCIP to be Single Source of data :**

I. All data relating to enrolment and claims shall be sourced through National Crop Insurance Portal.

II. Upcoming Tenders shall be based on NCIP data only. States will mandatorily Upload & Approve all AY and TY data for the period from Kharif 2013 to Rabi 2022 (excluding the AY data for Rabi 2022-23 which is yet not available) on the module provided in NCIP.

III. Further, the state will Upload AY data through pre-designed .xls template and approve for all historical years from Kharif 2013 to Rabi 2017-18 on specially designed module in NCIP before publishing the Tender Document. The AY and TY data so uploaded SHALL BE THE ONLY SINGLE SOURCE OF DATA and mandatorily shall be provided to Insurance Companies along with Bid Document for Burn Cost calculation and Risk Pricing.

	IV. It should be noted by Insurers/bidders that NO OTHER SOURCE OF DATA should be used for Risk Pricing for Bidding in the tenders other than the data uploaded and approved by States and UTs on NCIP. **V.** In case this clause is not adhered to, Govt of India Subsidy SHALL NOT BE RELEASED to support the scheme.
10	**Universal Coverage :** Universalization of the scheme is advisable for the States keeping in view the increasing climatic risk & catastrophic events exposing farming to increased risk of financial loss. Universalization further leads to Risk Diversification and balanced spread. The State of Andhra Pradesh is an appropriate example where universal coverage with no frills has been successfully adopted which has not only brought all farmers under the crop insurance umbrella but has also significantly brought down the premium rates. With Universalization, the scheme becomes easier to administer for both, the States and the ICs all farmers get automatically covered, no separate enrolment is required. There are minimal chances of moral hazard or adverse selection as observed in Andhra Pradesh as the enrolment data is fetched through validated, farm level crop & farmers KYC e-crop app. The States consider for opting universalization in the interest of the farmers with following pre-requisites : • Digitized Land Records • Farm level Season-wise Crop Data • Farm Level Farmer's KYC • Data collection as per PMFBY Requirements • API based Data Exchange
11	Provisions indicated at point no.4 (II), 5 & 7 above shall come into effect from the date of specific orders issued for the purpose.

संलग्नक–2

भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध 18 बीमा कम्पनियों का विवरण

क्र.स.	बीमा कम्पनी का नाम
1	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0
2	आई0सी0आई0सी0आई0–लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0
3	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
4	चोलामण्डलम एम0एस0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0
5	इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0
6	टाटा–ए0आई0जी0 जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
7	फ्यूचर जनराली इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
8	एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
9	यूनीवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
10	बजाज एलायन्ज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
11	एच0डी0एफ0सी0–एरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
12	श्रीराम जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
13	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
14	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
15	यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
16	न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि0
17	रायल सुन्दरम जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0
18	भारती एक्सा जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0

संलग्नक =3

संलग्नक–3

Mentor Institute of Technology Rollout (MITR)

Sl.No.	Institute	Address
1	SAC Ahmedabad	Director, Space Application Centre, Ahmedabad
2	NRSC Hyderabad	Director, NRSC, ISRO, Hyderabad
3	NRSC Regional Centre	General Manager, Central Manager, NRSC Regional Centre, Bengaluru.
4	NRSC Regional Centre	General Manager, Central Manager, NRSC Regional Centre, Kolkata.
5	NESAC	Director, North Eastern Space Applications Centre, ISRO, Shillong.
6	CRIDA-ICAR	Central Research Institute for Dryland Agriculture, ICAR, Hyderabad.
7	LARI-ICAR	Director, ICAR-LARI Pusa, New Delhi
8	TNAU	Vice Chancellor, Tamil Nadu State Agriculture University
9	OUAT	Vice Chancellor, Odisha University of Agriculture Technology Bhubaneswar.
10	PJTSAU	Vice Chancellor, Jayshankar Telangana State Agricultural University (PJTSAU) Telangana.
11	HARSAC	Haryana Space Applications Centre, Hisar.
12	ANGARAU	Acharya NG Ranga Agricultural University.

संलग्नक-4

संलग्नक–4

Technology Implementation Partner (TIP)

Sl.No.	Institute	Address
1	SAC Ahmedabad	Director, Space Application Centre, Ahmedabad
2	NRSC Hyderabad	Director, NRSC, ISRO, Hyderabad
3	NRSC Regional Centre	General Manager, Central Manager, NRSC Regional Centre, Bengaluru.
4	NRSC Regional Centre	General Manager, Central Manager, NRSC Regional Centre, Kolkata.
5.	NESAC	Director, North Eastern Space Applications Centre, ISRO, Shillong.
6	CRIDA-ICAR	Central Research Institute for Dryland Agriculture, ICAR, Hyderabad.
7	LARI-ICAR	Director, ICAR-LARI Pusa, New Delhi
8	TNAU	Vice Chancellor, Tamil Nadu State Agriculture University
9	OUAT	Vice Chancellor, Odisha University of Agriculture Technology Bhubaneswar.
10	PJTSAU	Vice Chancellor, Jayshankar Telangana State Agricultural University (PJTSAU) Telangana.
11	HARSAC	Haryana Space Applications Centre, Hisar.
12	ANGARAU	Acharya NG Ranga Agricultural University.
13	ICRISAT	Director General, ICRISAT, Hyderabad, Telangana.
14	AgroTech Risk	CEO, Agrotech Risk Private Limited Noida, Uttar Pradesh.
15	Niruthi	CEO, Niruthi Climate & Eco System Pvt. Ltd. Hyderabad, Telangana.
16	Cropin Technology Solution	Country Director, Cropin Technology Solution Pvt. Ltd. Gurgaon, Haryana.
17	WRMS	MD & CEO, WRMS Pvt. Ltd. Gurgaon, Haryana.
18	AMEX	MD & Founder, Amnex, Infotechnologies Pvt. Ltd. Gandhinagar, Ahmedabad, Gujarat
19	RMSI	Senior Vice President, RMSI Private Limited, Noida, Uttar Pradesh.

संलग्नक–15

ना॰कम्पनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र नपदों में निर्धारित प्रकिया/समयबद्धता से कार्यवाही नहीं किये जाने की विभिन्न स्थितियों में सम्बन्धित वर्ष के सम्बन्धित खरी वा रबी मौसम हेतु दण्ड प्वाइन्ट एवं आर्थिक दण्ड का निर्धारणः–

क्र. सं.	प्रकरण	परिस्थितियाँ, जब आर्थिक दंड निर्धारित किया जायेगा	दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइन्ट	
1.	L1 बीमा कम्पनी द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करने से मना करना।	बीमा कम्पनी द्वारा L1 घोषित होने अथवा कार्य आदेश (work order) जारी होने के पश्चात कार्य करने से मना करना।	एक समूह के जनपदों में कार्य करने से मना करने पर	05 प्वाइन्ट
			दोनो समूहों के जनपदों में कार्य करने से मना करने पर	15 प्वाइन्ट
			निर्धारित दंड प्वाइन्ट के साथ ही राज्य सरकार को पुनः निविदा आमंत्रित करने तथा पूर्व घोषित L1 के स्थान पर पुनः निविदा में निर्धारित L1 के कारण प्रीमियम पर अनुदान मद में हुई अतिरिक्त वित्तीय हानि की वसूली भी सम्बन्धित बीमा कम्पनी से की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक होने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड के साथ ही प्रदेश में योजनान्तर्गत आगामी निविदा प्रकिया से बाहर रखने/भविष्य के लिए काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही भी की जा सकती है।	
2.	बीमा कम्पनी द्वारा निविदा प्रक्रिया में गम्भीरता से प्रतिभाग नहीं करने पर।	समूह स्तर पर चयनित बीमा कम्पनी के L-1 प्रीमियम दर से अन्य बीमा कम्पनियों के समूह स्तर पर प्रस्तावित प्रीमियम दर में विचलन की स्थिति।	1. 25 % से अधिक व 50 % तक विचलन की स्थिति	10 प्वाइन्ट
			2. 50 % से अधिक विचलन की स्थिति	20 प्वाइन्ट
3.	• जनपद में बीमा कम्पनी के कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति • जनपद की प्रत्येक तहसील में क्रियाशील कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति • प्रत्येक ब्लाक में बीमा कम्पनी के कम से कम एक एजेन्ट की नियुक्ति।	राज्य सरकार द्वारा बीमा कम्पनी को जारी किये गये कार्य आदेश (work order) की तिथि के 30 कार्य दिवस के पश्चात प्रत्येक ब्लाक में बीमा कम्पनी के कार्मिकों की नियुक्ति।	1.1 कार्य आदेश जारी होने की तिथि के 30 कार्य दिवसके पश्चात जनपदीय कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति करने पर	05 प्वाइन्ट
			1.2 कार्य आदेश जारी होने के पश्चात जनपदीय कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति नहीं करने पर	15 प्वाइन्ट
			1.3 कार्य आदेश जारी होने की तिथि के 30 कार्य दिवसके पश्चात तहसील पर कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति करने पर	05 प्वाइन्ट
			1.4 कार्य आदेश जारी होने के पश्चात तहसील पर कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति नहीं करने पर	15 प्वाइन्ट
4.	बीमा कम्पनी द्वारा प्रचार सामग्री– ब्रोशर/पैम्फलेट का मुद्रण	विगत मौसम में बीमित कृषकों की संख्या के 50 % से कम संख्या में मुद्रण एवं वितरण	1. अपेक्षित संख्या के 25 %की संख्या से अधिक व 50 %की संख्या तक मुद्रण एवं वितरण	02 प्वाइन्ट
			2. अपेक्षित संख्या के 25 %की संख्या से कम मुद्रण एवं वितरण	05 प्वाइन्ट
5.	बीमा कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण व वर्कशाप का आयोजन	बैंक व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी को पोर्टल पर विवरण अपलोड करने, फसल कटाई प्रयोगों के आकड़ों के प्रेषण हेतु पोर्टल पर पंजीकरण तथा योजना के सम्बन्ध में जनपद में कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम व वर्कशाप का आयोजन तथा जनपद के प्रत्येक ब्लाक में कम से कम 05 कैम्पों का आयोजन करते हुए कृषकों में जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाने पर।	(i) जनपद में एक भी प्रशिक्षण कार्यक्रम व वर्कशाप का आयोजन नहीं करने पर।	10 प्वाइन्ट
			(ii) जनपद के प्रत्येक ब्लाक में 02 कैम्पों से कम आयोजित करना।	05 प्वाइन्ट
			(iii) जनपद के प्रत्येक ब्लाक में 05 कैम्पों से कम आयोजित करना।	02 प्वाइन्ट

क्र.	प्रकरण	परिस्थितियाँ, जब आर्थिक दंड निर्धारित किया जायेगा	दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइन्ट	
6.	फसल कटाई प्रयोगों का कटाई स्तर पर बीमा कम्पनी के अधिकृत कार्मिक द्वारा अवलोकन	बीमा कम्पनी के अधिकृत कार्मिक द्वारा कटाई स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों का अवलोकन नहीं करने पर।	(i) नियोजित कुल फसल कटाई प्रयोगों की संख्या के 20%से अधिक व 30%से कम प्रयोगों का अवलोकन करने पर (ii) 20%से कम प्रयोगों का अवलोकन करने पर	10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट
7.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत			
	• प्रतिकूल मौसमीय स्थितियो से फसलों की बुआई न कर पाना/असफल बुआई की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान	राज्य सरकार द्वारा असफल बुआई वाले ग्रामपंचायतों/फसलों का पोर्टल पर डिक्लेरेशन करने के 07 दिन के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा एप्रूव नहीं करने पर।	(i) 10% से कम अवशेष रहने पर (ii) 40% से कम अवशेष रहने पर (iii) 60% से कम अवशेष रहने पर (iv) 100% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट 05 प्वाइन्ट 10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट
	• फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसल की सम्भावित उपज सामान्य उपज से 50% कम होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान	राज्य सरकार द्वारा मध्य अवस्था वाले ग्रामपंचायतों/फसलों का पोर्टल पर डिक्लेरेशन करने के 07 दिन के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा एप्रूव नहीं करने पर।	(i) 10% से कम अवशेष रहने पर (ii) 40% से कम अवशेष रहने पर (iii) 60% से कम अवशेष रहने पर (iv) 100% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट 05 प्वाइन्ट 10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट
	• स्थानिक आपदाओं– ओला, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना व आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षतिपूर्ति का भुगतान	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सर्वे करते हुए 30 कार्यदिवस के अन्दर पे–आउट पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर।	(i) 10% से कम अवशेष रहने पर (ii) 40% से कम अवशेष रहने पर (iii) 60% से कम अवशेष रहने पर (iv) 100% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट 05 प्वाइन्ट 10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट
	• फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल कोबेमौसम/ चक्रवाती वर्षा, चक्रवात, ओलावृष्टि से क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सर्वे करते हुए 30 कार्यदिवस के अन्दर पे–आउट पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर।	(i) 10% से कम अवशेष रहने पर (ii) 40% से कम अवशेष रहने पर (iii) 60% से कम अवशेष रहने पर (iv) 100% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट 05 प्वाइन्ट 10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट
8.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान।	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भुगतान हेतु ए0वाई0 डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के 7 कार्य दिवस के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान हेतु एप्रूव नहीं करने पर।	(i) 10% से कम अवशेष रहने पर (ii) 40% से कम अवशेष रहने पर (iii) 60% से कम अवशेष रहने पर (iv) 100% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट 05 प्वाइन्ट 10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट
9.	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में मौसम के आकड़ों के आधार पर कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान।	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में बीमा अवधि/जोखिम अवधि के समाप्ति के 21 कार्य दिवस के अन्दर पे–आउट पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर।	(i) 10% से कम अवशेष रहने पर (ii) 40% से कम अवशेष रहने पर (iii) 60% से कम अवशेष रहने पर (iv) 100% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट 05 प्वाइन्ट 10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट
10.	आई.जी.आर.एस., आर.टी.आई. एवं सामान्य शिकायतों का निराकरण।	बीमा कम्पनी को शिकायत प्राप्त होने के 10 कार्य दिवस के अन्दर निस्तारण नहीं करने पर।	(i) 10% से कम अवशेष रहने पर (ii) 40% से कम अवशेष रहने पर (iii) 60% से कम अवशेष रहने पर (iv) 100% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट 05 प्वाइन्ट 10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट
11.	डुप्लीकेट बीमा को रोकने हेतु फील्ड लेवल पर कम से कम 10 खेतों का क्राप सर्वे किया जायेगा।	जनपद में सभी अधिसूचित फसलों के कम से कम 10 खेतों का सर्वे बीमा करने के अन्तिम तिथि के 21 कार्य दिवस के अन्दर नहीं करने पर।	(i) 10% से कम अवशेष रहने पर (ii) 40% से कम अवशेष रहने पर (iii) 60% से कम अवशेष रहने पर (iv) 100% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट 05 प्वाइन्ट 10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट
12.	बीमा पालिसी को निर्धारित समयान्तर्गत स्वीकृत किया जाना।	प्राप्त आवेदन को बीमा कम्पनी द्वारा बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 30 कार्य दिवस तक एप्रूव नहीं करने पर।	(i) 10% से कम अवशेष रहने पर (ii) 40% से कम अवशेष रहने पर (iii) 60% से कम अवशेष रहने पर (iv) 100% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट 05 प्वाइन्ट 10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट
13.	बीमा पालिसियों का वितरण किया जाना।	प्रत्येक मौसम में निर्धारित समयावधि में बीमा पालिसी वितरित नहीं करने पर।	(i) 10% से कम अवशेष रहने पर (ii) 40% से कम अवशेष रहने पर (iii) 60% से कम अवशेष रहने पर (iv) 100% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट 05 प्वाइन्ट 10 प्वाइन्ट 15 प्वाइन्ट

क्र.सं.	प्रकरण	परिस्थितियाँ, जब आर्थिक दंड निर्धारित किया जायेगा	दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइन्ट	
14.	विभाग द्वारा दिये गये ए0वाई0 डाटा के विसंगति के सम्बन्ध में।	विभाग द्वारा पोर्टल पर ए0वाई0 अपलोड करने के 07 कार्य दिवस के अन्दर विसंगति/आब्जेक्शन न करने पर।	—	10 प्वाइन्ट
15.	उपभोग प्रमाण–पत्र नहीं देने पर।	राज्यांश के भुगतान के 30 दिन के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं देने पर।	—	10 प्वाइन्ट